तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
	29-7-19 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 31-7-19 को पेश हो।	
	31-7-19 वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी नं०1 द्वारा दि० 27-5-19 को प्रस्तुत प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी का दावा वर्तमान में आधारहीन हो जाने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
102/2015	2.9.2015	31.7.2019

कैलाश पुत्र रामचन्द्र, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र नारायण, गुर्जर नि0 हबीबपुर, नाथों के पास तह0 गंगापुर
2. रामनिवास पुत्र घूडया, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामजीलाल पुत्र रामभरोसी, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. नवलकिशोर पुत्र रामभरोसी, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. मुन्नालाल पुत्र रामभरोसी, रैगर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री प्रेम प्रकाश जोशी , एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद पत्र बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर में स्थित है। इसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का 1/3 हिस्सा है। पक्षकारान अपना अपना हिस्सा बांटकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी के दक्षिण की तरफ के 1/3 हिस्से पर प्रार्थी की सरसब्ज खडी फसल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 ने वादी के हिस्से की भूमि में मवेशियां छोड दिए । वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा यह खेत हमारा है। इस जमीन के तुम 90–92 हजार रूपए लो और इस जमीन की ओर देखनेकी कोशिश मत करना। प्रतिवादीगण वादी के 1/3 हिस्से को हडपने पर आमादा है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी ख0नं0 614 रकबा 1.55 है0 ग्राम हबीबपुर का राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि अनुसार 1/3, 1/3 भाग का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणको तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि जरिए इकरारनामा दिनांक 6.5.02 प्रतिवादी संख्या 1 को रू0 190000/– में विक्रय कर प्रतिवादी सं0 1 से नगद राशि प्राप्त कर भूमि का मौके पर कब्जा प्रतिवादी सं0 1 को संभला दिया तभी से केसरया के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 ने ही इस साल सुग्रीव गुर्जर निवासी हबीबपुर के ट्रेक्टर से ग्वार की फसल काश्त करवाई थी जो पककर तैयार खडी हुई है। प्रतिवादी नं0 2 ता 5 ने बाजरे की फसल बोई थी जो उन्होने काट ली है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 ने मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा था । वादी ने विवादित भूमि से उत्तर दिशा की ओर अपना 1/3 हिस्से को प्रतिवादी को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया तभी से प्रतिवादी का वादी के 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादी ने दि0 1.8.15 की घटना भी गलत दर्ज की है। वादी का 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा नहीं है एवं कब्जे के अभाव में वादी का वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादी इस दावे की आड में प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करना चाहता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। कब्जे के अभाव में वादी का यह दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी नं0 6 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि मे केसरया का 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसे केसरया ने गूजरया पुत्र नारायण गुजर को विक्रय कर स्टाम्प पर लिखा पढी कर दी है एवं भूमि का कब्जा भी उसे संभला दिया है। यह धारा 42 टीनेन्सी एक्ट का उल्लंघन है इसलिए प्रतिवादी ने भूमि को सिवायचक दर्ज किए जाने हेतु धारा 175 आर0टी0ए0 के तहत प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जो लम्बित है। अतः वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया भूमि ख0 न0 614 रकबा 1.55 हेक्टर ग्राम हबीबपुर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसका मौके पर पक्षकारो ने रिकार्ड मे दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन कर रखा है। ––वादी

2. आया दिनांक 1.8.2015 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 ने वादी के हिस्से की भूमि मे वादी को काश्त में मजाहमत की एवं भूमि काश्त नही करने देने के लिए धमकी दी। ––वादी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

3. आया वादी वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बटवारा कराकर अपने नाम अलग से खाता दर्ज करवाने का एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। ——वादी

4. आया वादी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि जरिए इकरारनामा दि. 6.5.02 को रुपये 190000 /– में प्रतिवादी नम्बर 1 को विक्रय कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 को संभला दिया एवं वादी के 1/3 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा है। अतः वादी का दावा खारिज होने योग्य है।
——प्रतिवादी नं0 1

5. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श–1 पेश की है एवं बयान वादी केसर्या पी0डब्लू0 1, बयान गवाह बहादुर सिंह पी0डब्लू0 2, बयान गवाह बिहारी सिंह पी0डब्लू0 3 कराए हैं।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादी नं0 1 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

उपरोक्त उनवानी मुकदमे में प्रतिवादी नं0 1 गूजरया ने दि0 27.5.19 को को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि ख0नं0 614 ग्राम हबीबपुर वर्तमान में श्रीमान्जी के आदेश से धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत सिवायचक दर्ज हो चुकी है। वादी ने यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जो अब चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त दावे को खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करें।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में वादी ने अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 614 के बंटवारे बाबत् यह दावा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें बंटवारा होना शेष है। धारा 175 एल0आर0एक्ट के आदेश के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां विचाराधीन है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2019 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक 8.7.2019 को वादी की ओर से वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह वादपत्र में प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध कार्यवाही चलाना नहीं चाहता है। अतः वादपत्र के टाइटल से प्रतिवादी नं0 1 का नाम हजफ फरमाने के आदेश प्रदान किए जावें।

इस प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी नं0 1 की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं वकील प्रतिवादी नं0 1 ने इस प्रार्थना पत्र पर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र दिनांक 27.5.2019 एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 8.7.2019 पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थना पत्र दिनांक 27.5.2019 पर अपनी बहस में वकील प्रतिवादी नं0 1 ने कहा कि वादी ने यह दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है । विवादित भूमि ख0नं0 614 में वादी का 1/3 हिस्सा तहसीलदार के आदेशानुसार धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत सिवायचक दर्ज हो चुका है। जब वादी भूमि का खातेदार ही नहीं है तो वह अब किस भूमि का विभाजन कराना चाहता है एवं किस भूमि को लेकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वादी का दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज करवाया जावे।

वादी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि धारा 175 आर0टी0 एक्ट के निर्णय के विरूद्ध वादी ने श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की हुई है जो दर्ज हो चुकी है एवं उसमें पक्षकारों की तलवी के आदेश हो चुके हैं। इसलिए वादी का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वादी ने प्रतिवादी नं0 1 का नाम दावे से हजफ करने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 का नाम टाइटल से हजफ फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 27.5.2019 के साथ प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार भूमि ख0नं0 1269/614 रकबा 0.5166 है0 राजकीय खाते में दर्ज है। चूंकि वर्तमान में वादी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 614 ग्राम हबीबपुर की कोई भूमि दर्ज नहीं है इसलिए वह भूमि विभाजन का एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। जहां तक वादी का यह कथन कि उसने राजस्व अपील अपीलेट कोर्ट में अपील प्रस्तुत की हुई है, यहां हम वादी के इस कथन से सहमत नहीं है क्योंकि भूमि वर्तमान में वादी की खातेदारी में नहीं है एवं अपीलेट कोर्ट से कोई स्थगनादेश भी जारी नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि का खातेदार नहीं रहने के कारण वादी का वर्तमान दावा आधारहीन हो जाता है एवं चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 द्वारा दि0 27.5.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी का दावा वर्तमान में आधारहीन हो जाने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.19 12:11:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: